न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.न. 62/2021

उनवान

1. शिवपाल पुत्र प्रभूदयाल,
2. सुवालाल पुत्र प्रभूदयाल,
3. राजेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल,
4. भंवरी देवी पत्नी मूलचन्द,
5. मीनू पुत्री मूलचन्द,
6. विक्रम पुत्र मूलचन्द,
7. पिंकी पुत्री मूलचन्द,
8. सुमित पुत्र मूलचन्द,
9. सावित्री पत्नी जगदीश प्रसाद,
10. सीताराम पुत्र सुरजाराम,
11. बोदूराम पुत्र सुरजाराम,
12. बजरंगलाल पुत्र बंशीलाल,
13. गिरधारी पुत्र बंशीलाल,
14. मंजू देवी पुत्री बंशीलाल,
15. नीतू पुत्री बंशीलाल,

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, उपतहसीलदार महोदय, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।
3. राधा पुत्री भूराराम पत्नी सीताराम, जाति माली निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक–– 20.11.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली–ए, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 6339/4 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6340/5 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 6339/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9363/6340 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9364/6340 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.22 [illegible] खसरा नम्बर 6339/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6340 [illegible] कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 6339/5 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6340/ रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 6340/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6341 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर स्थित है। जो सम्पूर्ण ही प्रार्थीगण व उनके पिता/पति/ससुर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.09 11:10:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमियों पर प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर उपयोग करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी कर रहे है।

वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली–ए, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 6337, 6338, 6366, 6367, 6368 कुल किता 5 का कुल रकबा 3.13 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमियां अप्रार्थी संख्या 3 व उसकी माता मंगली देवी पत्नी भूरा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है मंगली देवी पत्नी भूराराम फौत हो चुकी है तथा मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर अप्रार्थी संख्या 3 की भूमि स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 3 प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2021 को श्रीमान उपतहसीलदार साहब खेजरोली के आदेश क्रमांक भू.अ./सीमाज्ञान/2021/453, 455, 457, 459, 461, 463 दिनांक 15.06.2021 व आदेश क्रमांक भू.अ./सीमाज्ञान/2021/500 दिनांक 18.06.2021 की पालना में पटवार मण्डल खेजरोली ए व बी के ग्राम खेजरोली ए व बी के खसरा नम्बर 6339/1 लगायत 6339/5 व 6340/1 लगायत 6340/4, 6341, 9363/6340 एवं 4203, 4202 के मौके पर हमराह टीम पहुंचे जिसमें सीमाज्ञान के निष्पादन की कार्यवाही से पूर्व सेटलमेन्ट के नक्शा शीट से मुस्तिगिल बिन्दुओं की पुष्टि की जावें ताकि भविष्य में विवाद ना रहे। ऐसा प्रार्थना पत्र पेश होने पर आपसी सहमति से सीमाज्ञान की कार्यवाही रोकी जाकर हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात दिनांक 16.07.2021 को पूर्व में जारी आदेशानुसार सेटलमेन्ट नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर मौके पर उक्त खसरा नम्बरान की सीमाज्ञान हेतु मौके पर पहुंचे जिसका सीमाज्ञान किया जाकर फर्द तैयार की गई व हस्ताक्षर करवाये गये। जिस हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली–ए, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 6339/4 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6340/5 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 6339/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9363/6340 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9364/6340 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 6339/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6340/3 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 6339/3 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा [illegible] रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा [illegible] 6340/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6341 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल [illegible] 2 का कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर की पत्थरगढी करने के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट खेजरोली में पेश हुई। प्रार्थीगण जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.09 11:10:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता प्रार्थीगण की सीधी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजीयात् के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 21.06.2021 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2021 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **20.11.2021** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राहुल जैन
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.09 11:10:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner